राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामनारायण / मदनलाल

तारीख हुक्म	591/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/1/22	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश किया जिसमें प्रार्थी ने अपनी आराजी खसरा नंबर 653 व 657 पर आने जाने हेतु अप्रार्थी/अपीलार्थी की खाते की आराजी खसरा नंबर 651 व 704 की मेड़ के सहारे होते हुए रास्ता जाहिर किया चूंकि उक्त रास्ता अपीलार्थी/अप्रार्थी के रिकॉर्ड खसरा नंबर 651 व 704 में पड़ता है जिसे अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण जब चाहे अवरूद्ध कर देते है जबकि उक्त रास्ता प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के आने–जाने के लिए एकमात्र रास्ता है जिससे प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा नंबर 651 व 704 में से रास्ता दिलवाये जाने एवम् तदनुसार रास्ते का राजस्व मानचित्र में अंकन किये जाने हेतु अनुतोष चाहा। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश प्रदान कर आगामी पेशी 13.05.2019 नियत की गई। दिनांक 13.05.2019 की आदेशिका में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से अभिभाषक उपस्थित आ गये, पुनः तारीख पेशी परिवर्तित की गयी एवम् निरन्तर दिनांक 23.07.2019 तक तारीख पेशियां परिवर्तित की जाती रही, दिनांक 23.07.2019 की आदेशिका अनुसार दिनांक 05.08.2019 तारीख पेशी दी गई, दिनांक 05.08.2019 को अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर वास्ते आदेश दिनांक 13.08.2019 की तारीख पेशी नियत की गयी एवम् दिनांक 13.08.2019 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा का ध्यान अधिनस्थ न्यायालय की दैनिक वाद सूची की नकलों की ओर आकर्षित कराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 23.07.2019 को दैनिक वाद सूची के अनुसार उस दिनांक को लम्बित प्रकरणों में एक जनरल तारीख पेशी दिनांक 13.08.2019 दी गई। अप्रार्थी/अपीलार्थी के अभिभाषक दिनांक 13.08.2019 को न्यायालय में उपस्थित हुए तो ज्ञात हुआ कि प्रकरण में पूर्व की किसी पेशी पर एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र का अन्तिम निस्तारण कर दिया गया है तत्पश्चात् विस्तृत जानकारी लेते हुए एवम् अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अभिभाषक अपीलार्थी ने दिनांक 23.07.2019 की वाद सूची की ओर पुनः न्यायालय हाजा का ध्यान आकर्षित करा कर निवेदन किया कि दिनांक 23.07.2019 को समस्त प्रकरणों में दिनांक 13.08.2019 तारीख नियत किये जाने के पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 25/2019 मदनलाल बनाम रामनारायण में दिनांक 29.07.2019 की तारीख वाद सूची में परिवर्तित कर दी गई जिसका अपीलार्थी को कोई ज्ञान नहीं हो सका इसके अतिरिक्त अभिभाषक अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.07.2019 की ओर न्यायालय हाजा का ध्यान	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
591/2019	श्रीमनारायण / मदनलाल

आकर्षित कराते हुए निवेदन किया कि यदि उक्त दिनांक 23.07.2019 को प्रार्थना पत्र में 13.08.2019 के स्थान पर पेशी दिनांक 29.07.2019 कर दी गयी थी तो आदेशिका दिनांक 23.08.2019 में भी आगामी तारीख पेशी 29.07.2019 अंकित होनी चाहिये थी किन्तु अप्रार्थीगण को मुगालते में रखते हुए आदेशिका में दिनांक 23.07.2019 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.08.2019 गलत अंकित करके एवम् दिनांक 05.08.2019 को अप्रार्थी/अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया गया जिससे स्पष्ट रूप से अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दैनिक वाद सूची एवम् आदेशिका में हुए विरोधाभास से स्पष्ट है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे एवम् प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी की सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुनः प्रेषित किया जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मात्र इस बिन्दु पर बहस की कि न्यायालय की आदेशिका में सत्य का प्रमाण निहित होता है जिसे गलत कहने मात्र से गलत धारित नहीं किया जा सकता। दिनांक 23.07.2019 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी 05.08.2019 ही दी गई थी एवम् दिनांक 05.08.2019 को अप्रार्थी/अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को सुनकर विस्तृत आदेश के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। अतः अपील अपीलाथी खारिज की जावे।

अभिभाषक पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया एवम् पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलार्थी की बहस अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी दैनिक वाद सूची दिनांक 23.07.2019 के सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र की आदेशिका दिनांक 23.07.2019 का अवलोकन किया गया जिसके अवलोकन से यह विरोधाभास स्पष्ट होता है कि दैनिक वाद सूची के अंदर विचाराधीन प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से आगामी पेशी दिनांक 29.07.2019 दी गई थी किन्तु आदेशिका में दिनांक 05.08.2019 अंकित कर दी गई, उक्त दिनांक की आदेशिका में अप्रार्थीगण या उनके अभिभाषक के हस्ताक्षर नहीं है जिससे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि दिनांक 05.08.2019 को अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण की अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं रही है एवम् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2019 को अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय आदेश पारित किये जाने से अपीलार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका। फलस्वरूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में एवम् अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने के अभाव में, न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
591/2019	रामनारायण वगैरा / मदनलाल	

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2019 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, प्रार्थना पत्र का विधिवत निस्तारण करें। उभयपक्षों को जरिये अभिभाषक पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 31.01.2021 को उपस्थित होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/1/2022 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)